संख्या–675 / 18–4–2010–11(बजट) / 07

प्रेषक,

राम किशोर
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, कानपुर ।

लघु उद्योग अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 24 फरवरी,2010

विषयः–हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन हेतु डिजाइन वर्कशाप योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उद्योग निदेशालय के पत्र संख्या–1009 / 13–हस्त0 / कौ0उ0यो0द्वि0कि0 / 2009–10. दि0 02.09.2009 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या–919 / 18–4–09–11(बजट) / 07, दि0 04.05.2009 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन हेतु डिजाइन वर्कशाप योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 50,000,00.00 (रूपये पचास लाख मात्र) के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0 25,00,000.00 (रूपये पचीस लाख मात्र) को व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2– प्रश्नगत योजना से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों के Skill Upgradation के संबंध में Tracking System लागू किया जायेगा तथा इस योजना के सबंध में जिला स्तर पर कम्प्यूटर डाटा–बेस तैयार किया जायेगा।

3– प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का एकमुश्त आहरण न किया जाय। यथावश्यकतानुसार धनराशि का कोषागार से आहरण फेंजिंग कर किया जाय, जो सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक न हो।

4– उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि सक्षम अधिकारी की वास्तविक मांग पर आहरित की जाय। उक्त धनराशि केवल उपर्युक्त स्वीकृत योजना पर ही व्यय की जायेगी। किसी भी दशा में शासन की अनुमति से पूर्व स्वीकृत धनराशि अथवा उसके किसी अंश का उपयोग अन्य मदों / अन्य योजनाओं के कियान्वयन हेतु नही किया जायेगा ।

5– योजना का कार्यान्वयन एवं इस सम्बंध में व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–490 / दस–09–231 / 2009, दिनांक 20 मार्च 2009 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सुनिश्चित कराने हेतु वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा ।

2 / ———

6— प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के विशेष सचिव वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–6 एवं शासन को प्रपत्र बी–एम–13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा ।

7— प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)–1 एवं 2 उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

8— उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–3–आयोजनागत के लेखा शीर्षक–"2851 ग्राम तथा लघु उद्योग–आयोजनागत–102–लघु उद्योग,18–हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन हेतु डिजाइन वर्कशाप–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा ।

9. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–490/दस–2009–231/2009, दिनांक 20.3.2009 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(राम किशोर)
अनु सचिव ।

675

संख्या– (1)/18–4–2010–11(बजट)/07, तद्दिनांक । 24-2-10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3. कोषाधिकारी कानपुर ।
4. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, लखनऊ ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग–1/लघु उद्योग अनुभाग–3
7. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राम किशोर)
अनु सचिव ।